प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.05.2026

साइबर सेल, थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 2,40,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

आवेदक राहुल जैन निवासी- ब्रिज विहार, साहिबाबाद, थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद के द्वारा धारा 66 D आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त फ्रॉड में वादी के फोन में ऐ.पी.के फाइल द्वारा वादी का फोन हैक किया गया तथा वादी के साथ 3,45,000/- रुपये की साईबर ठगी की गयी थी। जिसमें कार्यवाही करते हुये साइबर सेल थाना लिंक रोड द्वारा वादी के 2,40,000/- रुपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण:- साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना लिंक रोड कमिश्नरेट गाजियाबाद में वादी के द्वारा धारा 66 D आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में साइबर सेल थाना लिंक रोड कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 10.05.2026 वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को बैंक से लगातार पत्राचार कर अथक प्रयासों से वादी के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

साइबर सेल थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

जनसुरक्षा को प्राथमिकता: अवैध डिवाइडर कटों पर चला अभियान

पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कमिश्नरेट गाजियाबाद में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली जनहानि में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज यातायात निरीक्षक नवम द्वारा गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में रोटरी गोलचक्कर से सिटी फारेस्ट तक ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण किया गया, जहाँ आमजन द्वारा डिवाइडर को तोड़कर सड़क पार करने हेतु अस्थायी एवं अवैध कट बना लिये गये थे। यातायात पुलिस द्वारा ऐसे कुल **15** अवैध कटों का चिन्हीकरण कर जर्सी बैरियर (**RCC** बैरियर) की सहायता से बंद कराया गया,

जिससे अनियंत्रित एवं गलत दिशा में वाहन संचालन को रोका जा सके तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

यातायात पुलिस आमजन से अपील करती है, कि अपनी एवं अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन कटों को पुनः न खोलें तथा सदैव यातायात नियमों का पालन करें। सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की इस मुहिम में यातायात पुलिस का सहयोग करें।

इसके अतिरिक्त आमजन से यह भी अपील की जाती है, कि यदि उनके संज्ञान में कोई ऐसा अवैध कट हो, जहाँ से वाहन चालक डिवाइडर पार करते हों अथवा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु कोई सुझाव हो, तो वह यातायात पुलिस के **X** हैंडल **@Gzbtrafficpol** अथवा हेल्पलाइन नंबर 9643322904 पर अपनी सूचना/सुझाव प्रेषित कर सकते हैं।

यातायात की अद्यतन स्थिति एवं अन्य यातायात संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु यातायात पुलिस के **X** हैंडल **@Gzbtrafficpol** को फॉलो करें।

यातायात पुलिस गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित बनाए जाने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।